पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{2 चैत्र, 1937 (श0)}}{\text{23 मार्च, 2015 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 44

(1)	गृह विभाग	..	..	32
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	04
(3)	वित्त विभाग	..	..	01
(4)	उद्योग विभाग	..	..	01
(5)	सांख्यिक वित्त विभाग	..	..	03
(6)	कारा विभाग	..	..	01
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	01
(8)	निगरानी विभाग	..	..	01
			कुल योग —	44

चहारदीवारी का निर्माण

*273. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट एवं कटेया थाना में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण थाना में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना परिसर की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*274. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के ग्राम-होरमा, बिन्दौल, नौडीहा के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*275. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण, जिला-अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी का अपना आवास नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी के आवास का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*276. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर, तरैया तथा पानापुर थाना का चहारदीवारी निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थानों के अन्तर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्र है एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण थाना कर्मी को सुरक्षा में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों के सुरआ हेतु चहारदीवारी निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*277. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कटिहार नगर निगम क्षेत्र में यातायात पुलिस इकाई के अभाव में यातायात व्यवस्था अनियंत्रित रहने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है ;

(2) अगर उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक कटिहार नगर निगम क्षेत्र में यातायात पुलिस इकाई स्थापित करने का इरादा रखती है, अगर हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*278. श्री महेन्द्र बैठा--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड के खेसराही प्रखंड के खेसराही पंचायत में दो कब्रिस्तान की घेराबन्दी की स्वीकृति 2012-13 में की गई जिसमें से एक कब्रिस्तान की घेराबन्दी फरवरी, 2014 में की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी में एक कब्रिस्तान की घेराबंदी संवेदक द्वारा नहीं किया गया है और प्राक्कलन राशि को प्राप्त कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुये बचे हुए एक कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*279. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला को बने 25 वर्ष हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला में ए0 डी0 एम0, डी0 डी0 सी0, अपर समाहर्ता, निदेशक, डी0 आर0 पी0 ए0, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप-निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला परिषद् पदाधिकारी का पद 2 वर्षों से रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*280. श्री संजय सिंह टाईगर--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखंड के अखगाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अखगाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसंधान कराना

*281. श्री सरफराज आलम--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा (सारण) जिले के मढ़ौरा थाना काण्ड संख्या 135/13 में गलत तरीके से नामजद अभियुक्त बनाया गया है, (छेड़खानी का) जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी में ग्रामीणों के बयान पर केस को गलत करार दिया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पुलिस उपाधीक्षक द्वारा बिना घटना स्थल पर गये ही एवं डायरी के अवलोकन किये बिना ही केस को सत्य बताया है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*282. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड स्थित अकिलपुर पंचायत के अकिलपुर, दुधिया, सुलहली, रामदासचक, दियर, बतरौली, बयनगाँवा एवं पकवलिया गाँव में सरकारी बैंक नहीं है जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार अकिलपुर ग्राम में बैंक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना के भवन का निर्माण

*283. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मोरकाही थाना पंचायत भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना का अपना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात सुगम बनाना

*284. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर शहर में यातायात के लिये ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थान नहीं होने के कारण 5 वर्षों में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ट्रैफिक जाम होने से स्कूल के बच्चों, मरीजों आदि को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर शहर में ट्रैफिक प्रणाली एवं पार्किंग स्थान की व्यवस्था कर यातायात को सुगम बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करना

*285. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 मई, 2014 के अंक में छपी खबर ''विधि-व्यवस्था व जाँच अलग करने की योजना ठप'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2012 में थानों में विधि-व्यवस्था व अनुसंधान की इकाई को अलग करने की योजना शुरू की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना को पूरे राज्य में लागू करना था लेकिन अभीतक राजधानी पटना के ही कुछ थानों में यह योजना लागू की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन नहीं होने से राज्य में अपराध पर नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त योजना को पूरे राज्य में कबतक लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*286. श्री महेन्द्र बैठा--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के कोआही पंचायत में दो कब्रिस्तान की घेराबन्दी की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-13 में मिली जिसमें से एक कब्रिस्तान की घेराबन्दी जनवरी, 2014 में की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दो कब्रिस्तान में एक कब्रिस्तान की घेराबन्दी कर संवेदक द्वारा दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का रुपया का उठाव जनवरी, 2014 में कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुये शेष बचे हुये कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूरा कराना

*287. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड में मॉडल थाना संग्रामपुर के निर्माण हेतु 2010 में पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा कार्य प्रारम्भ हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्य के प्रारम्भ होने के बावजूद आजतक भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अलग व्यवस्था करना

*288. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया, संग्रामपुर, डुमरिया घाट थाना कैम्पस में जब्त गाड़ियों, कुर्की की सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों के रख-रखाव से जगह की काफी कमी होने से थाना के अन्य कार्यों में काफी परेशानी होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जब्त सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों के रख-रखाव के लिये अलग व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंधन की व्यवस्था

*289. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सभी थानों में बिजली आपूर्ति के लिये जेनरेटर एवं जेनरेटर संचालन हेतु इंधन की व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो कार्यहित में इसकी व्यवस्था हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कार्रवाई करना

*290. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग ने पत्रांक 408, दिनांक 26 मार्च, 2014 के द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय इन्टर कॉलेज, खजुरिया (बरौली) जिला गोपालगंज के प्राचार्य/सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा फर्जी भुगतान कर सरकारी अनुदान की पचास लाख की राशि का गबन एवं दुरुपयोग संबंधित जाँच हेतु प्रधान सचिव, निगरानी अन्वेषण को पत्र लिखा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग के द्वारा दस माह बीत जाने के बाद भी प्राचार्य/सचिव एवं अध्यक्ष के विरुद्ध अबतक जाँच पूरी कर कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी अध्यक्ष, सचिव एवं प्राचार्य के विरुद्ध कबतक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*291. श्री (मो०) तौसिफ आलम--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के नियमानुसार प्रदेश के हर थाने में एक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के किसी भी थाने में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति नहीं की गई है एवं उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति नहीं होने से उर्दू में आवेदन थाने में नहीं देते हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिले के सभी थानों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन की व्यवस्था

*292. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के डुमरा मनौरा गाँव में 200 मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के मुस्लिम समुदाय के लोगों को शव को दफनाने के लिये कब्रिस्तान नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के मुस्लिम समुदाय के शव दफनाने के लिये कब्रिस्तान की जमीन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाहन की व्यवस्था

*293. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर थाना एवं प्राणपुर थाना में वाहन नहीं रहने के कारण पुलिसकर्मियों को गश्ती करने तथा कानून व्यवस्था बनाने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों थानों में कबतक वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*294. डॉ० इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जनवरी, 2015 को प्रकाशित शीर्षक "जिले में खतरनाक रूप से बढ़ रही बाल अपराधियों की संख्या" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत वर्ष जनवरी, 2014 से अभीतक एक साल में 283 किशोर अपराधी अपराध में संलिप्त पाये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रमंडलीय बाल सुधार गृह के आंकड़ों के अनुसार दरभंगा के अलावा समस्तीपुर एवं मधुबनी के 283 बच्चों को विधि विरुद्ध गतिविधियों में पकड़ा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बाल सुधार गृह में सम्प्रति 49 बच्चे विभिन्न मामलों में आवासीय है इनमें हत्या में चार, डकैती में चार, चोरी में 20, अपहरण में 5, आर्म्स एक्ट में तीन, दहेज उत्पीड़न में 5, किशोर शामिल है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसका क्या औचित्य है तथा इस संबंध में सरकार कबतक आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

कार्य प्रारम्भ कराना

*295. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संयुक्त निदेशक, बिहार सरकार (गृह०आ०वि०) विगत छः माह पूर्व के अनुसार भागलपुर जिलान्तर्गत सजौर ओ०पी० में ग्रेड-3 थाना भवन निर्माण कार्य हेतु बिहार पुलिस भवन निगम के संबंधित अधीक्षण अभियंता (कार्य अंचल-2) पटना एवं कार्य०अभि०, भागलपुर को प्राक्कलन तैयार करने का निदेश भेजा गया था जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 1,06,05,900.00 है जो आजतक लंबित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राक्कलित राशि का अनुमोदन कर उक्त भवन निर्माण हेतु आवंटित करने तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*296. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के छाँवा, दलिपुर एवं चकवाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*297. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी नगर थाना काण्ड संख्या 14/12 दर्ज होने के उपरान्त काण्ड की सूची से शपथ-पत्र दिया था कि दर्ज प्राथमिकी फर्जी है;

(2) क्या यह बात सही है कि काण्ड के तीन साल बीत जाने के बाद पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण ने वादी के फोटो हस्ताक्षर तथा उंगलियों के निशान की जाँच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना से कराने का आदेश दिया था;

(3) क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के ज्ञाप सं0 4126/सी0आर0, दिनांक 13 अक्तूबर, 2014 को निर्गत पत्र के आलोक में पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेतिया ने ज्ञाप संख्या 226/सी0आर, दिनांक 30 जनवरी, 2015 द्वारा उक्त काण्ड में बगैर जाँच रिपोर्ट के अपने पद का दुरूपयोग करते हुये उक्त काण्ड को सत्य बताते हुये वारंट एवं कुर्की का आदेश दे दिया;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोतिहारी नगर थाना कांड संख्या 14/12 की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मत कराना

*298. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड के पहाड़पुर पूरब टोला कब्रिस्तान की घेराबन्दी क्षतिग्रस्त हो गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त घेराबन्दी को मरम्मत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

मिल चालू कराना

*299. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुत मिल, बिहार स्पन सिल्क मिल एवं विक्रमशीला का स्पिनिंग मिल विगत 10 वर्षों से बंद है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मिल बंद होने से मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मिलों को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*300. मो0 तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के ग्राम-बिलासी कब्रिस्तान, ग्राम-दुलाली कब्रिस्तान एवं नगर पंचायत अन्तर्गत समेसर कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइसेंस जारी करना

*301. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2015 को प्रकाशित शीर्षक ''जारी होते रहे निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंस'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने 8 अगस्त, 1987 के बाद देश में 38 बोर के रिवाल्वर एवं पिस्टल का अनुज्ञप्ति जारी करने पर रोक लगा रखी है तथा राज्य के गृह (आरक्षी) विभाग ने भी इस आशय का निर्देश भी जारी किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के आदेश के विरुद्ध 28 दिसम्बर, 1990 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने निषिद्ध बोर 38 रिवाल्वर को अनुज्ञप्ति जक्कनपुर थाना शस्त्र लाइसेंस नं0 514/90 जारी किया तथा 1990 में ही खगौल थाना क्षेत्र में भी 38 बोर रिवाल्वर को अनुज्ञप्ति दिया था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी लाइसेंस जारी करने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*302. डॉ0 अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 सितम्बर, 2014 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले साढ़े छः साल में पुलिस के खिलाफ 8,000 मानवाधिकार से संबंधित शिकायतें राज्य मानवाधिकार को प्राप्त हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 2 वर्षों में राज्य की पुलिस द्वारा जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करने में कमी आई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार राज्य की पुलिस और जनता के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाये जाने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 की स्थापना

*303. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखण्ड के दमाईपुर, खरसौता, कन्दौल, खुरियाल सहित 7 पंचायत पश्चिम बंगाल के सीमा से लगा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों में अपराधी अपराध करने के बाद पश्चिम बंगाल की सीमा पार करते हैं;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पंचायतों के बीच स्थित दमाईपुर में पुलिस ओ0पी0 स्थापित करने का विचार रखती है ?

कारा गृह का निर्माण

*304. श्री अमन कुमार--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में कोर्ट लगता है;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर में एक मात्र जेल है जो कहलगाँव अनुमंडल के लगभग 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित होने के कारण कैदियों से मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहलगाँव अनुमंडल में कारा गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*305. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड में ईख की खेती प्रचुर मात्रा में होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि पीरो प्रखंड में चीनी मिल नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीरो प्रखंड में चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*306. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, संस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 5,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँवों में सरकार बैंक की स्थापना करने का निर्णय 2011 में की है;

(2) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गाँव की आबादी 11 हजार से ऊपर है, फिर भी आजतक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामपुर गाँव में बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*307. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, संस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि 5,000 की आबादी पर सरकारी बैंक खोला जायेगा;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत रजौली प्रखंड के खिड्डी हाट के पास 50,000 से अधिक आबादी है एवं किसानों का कृषि संबंधी एवं मवेशी का बड़ा बाजार लगता है एवं कोई सरकारी बैंक नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खिड्डी बाजार में सरकारी बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*308. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत गंगौर ओ०पी० कचहरी के भवन में संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ०पी० का अपना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ

*309. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12535, दिनांक 29 जुलाई, 2013 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूची जातियों, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिये (अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 46 पर गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/अथीत, गोसाई, जाति/यति जाति को स्वतंत्र रूप से सम्मिलित करने का आदेश निर्गत किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्गत संकल्प के आलोक में गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/अथीत, गोसाई जाति/यति जाति को पिछड़े वर्ग की अनुसूची 2 में अभीतक सम्मिलित नहीं किया गया है तथा उन्हें अभीतक सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जातियों को पिछड़े वर्ग की अनुसूची में प्रवृष्टि कर आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*310. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा थाना के चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने से थाना प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*311. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के बीरूपुर थाना का अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि लखीसराय नक्सल प्रभावित जिला में पुलिस शस्त्र की लूट की घटना 2012 में हो चुकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना की सुरक्षा हेतु थाना का अपना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा

*312. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं तरैया उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थानों को उग्रवादियों से लड़ने के लिये अत्यधिक बल, आधुनिक शस्त्र एवं तकनीकी उपकरण नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पानापुर एवं तरैया थानों को मॉडल थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र भेजना

*313. डॉ० इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "1233 करोड़ लैप्स होने की आशंका" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 13वें वित्त आयोग के तहत अनुदान वाली योजनाओं के पैसा का उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने को नवम्बर, 2014 में कहा है क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2015 मे खत्म हो रहा है तथा 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक अप्रील, 2015 से प्रारम्भ होगा;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण 1212.37 करोड़ की लागत से होना है, लेकिन दो वित्तीय वर्ष में इसपर केवल 313 करोड़ रुपये ही खर्च हुये तथा नदी जोड़ योजना पर मात्र 333 करोड़ रुपये खर्च हुये और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 13वें वित्त आयोग के तहत अनुदान वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण देने को कहा लेकिन आजतक उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है; यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने की सूरत में जो पैसे लैप्स होंगे इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

स्थानान्तरित करना

*314. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत सकरी मॉडल थाना का भवन निर्माण वर्ष 2012-13 से बनकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नवनिर्मित भवन को सरकारी विभाग को अभीतक हस्तानान्तरित नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*315. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल (ढाका) में नये अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण 3.72 लाख रुपये की लागत से विगत एक वर्ष पूर्व पूर्ण किया जा चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नये अनुमंडलीय कार्यालय भवन में विद्युतीकरण कार्य नहीं होने के कारण अनुमंडलीय कार्यालय का स्थानान्तरण नये भवन में नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराकर अनुमंडल कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने के साथ ही स्थानान्तरण में विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*316. श्री अमन कुमार--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत बनसती ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का आम रास्ता, शौच एवं पशुओं का चारागाह में उपयोग होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम की कब्रिस्तान की घेराबन्दी जनहित में कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटनाः
दिनांक 23 मार्च, 2015 (ई०) ।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 161 डी०टी०पी०-450